पत्र सूचना शाखा

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

विकसित भारत–जी राम जी योजना के तहत 23 से 30 नवम्बर तक आयोजित होगा विशेष रोजगार सप्ताह

श्री केशव प्रसाद मौर्य

अधिकाधिक श्रमिकों को रोजगार और टिकाऊ परिसम्पत्तियों के सृजन पर रहेगा विशेष जोर

जल संरक्षण, आजीविका संवर्द्धन एवं जनोपयोगी कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश

लखनऊ : 11 नवम्बर, 2026

'उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत–जी राम जी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकाधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 23 नवम्बर से 30 नवम्बर, 2026 तक प्रदेश में विशेष रोजगार सप्ताह आयोजित करने के निर्देश ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि इस विशेष रोजगार सप्ताह के दौरान जनपदवार मानव दिवस सृजन के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष शत–प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित की जाए तथा अधिकतम पात्र श्रमिकों को उनकी मांग के अनुरूप वास्तविक रोजगार उपलब्ध कराया जाए'।

श्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि गत 12 अक्टूबर, 2026 को विशेष रोजगार सृजन दिवस आयोजित किए जाने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें जनपदों द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मानव दिवस सृजन के साथ–साथ योजना के अंतर्गत निर्धारित चार थीम के अनुरूप बड़े पैमाने पर जनोपयोगी कार्य भी कराए गए। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए विशेष रोजगार सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण श्रमिकों को पर्याप्त रोजगार उपलब्ध कराने के साथ–साथ गांवों में टिकाऊ परिसम्पत्तियों का निर्माण भी सुनिश्चित हो सके।

उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में आयुक्त, ग्राम्य विकास श्री प्रमोद कुमार उपाध्याय द्वारा सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों एवं संबंधित अधिकारियों को विस्तृत दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि विशेष रोजगार सप्ताह की तैयारियां समय से पूरी करते हुए 21 नवम्बर, 2026 से कार्य प्रारम्भ करा दिए जाएं तथा 23 से 30 नवम्बर तक विशेष रोजगार सप्ताह का प्रभावी एवं सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाए।

उल्लेखनीय है कि कृषि कार्यों में बुवाई एवं कटाई की चरम अवधि को देखते हुए शासन द्वारा 01 नवम्बर से 20 नवम्बर, 2026 तक योजना के अंतर्गत कार्यों की निलंबन अवधि निर्धारित की गई थी। इस अवधि में आगामी कार्यों के चयन, कार्ययोजना तैयार

करने तथा अन्य आवश्यक तैयारियां पूरी की जानी हैं, जिससे 21 नवम्बर से कार्य सुचारु रूप से प्रारम्भ हो सकें।

आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार जनपदों को योजना के अंतर्गत अनुमन्य 375 कार्यों में से ऐसे कार्यों का चयन करना होगा, जिनमें अधिकाधिक श्रमिकों का नियोजन हो सके और जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयोगी हों। विशेष रोजगार सप्ताह के दौरान टिकाऊ परिसम्पत्तियों के निर्माण, जल सुरक्षा एवं जल संरक्षण के कार्यों पर विशेष बल दिया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण आजीविका संवर्द्धन से जुड़े कार्यों को भी प्राथमिकता दी जाएगी।

इस संबंध में आयुक्त द्वारा जारी पत्र के साथ संलग्न गूगल शीट में 16 सुझावात्मक कार्यों का विवरण दिया गया है। जनपदों को अपनी ग्राम पंचायतों में कराए जाने वाले कार्यों की कार्ययोजना गूगल शीट पर दर्ज करनी होगी। ये कार्य सुझावात्मक हैं। इनके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत अनुमन्य अन्य कार्य भी कराए जा सकेंगे।

जल संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए अति–शोषित (Over–exploited), गंभीर (Critical), अर्ध–गंभीर (Semi–critical) एवं सुरक्षित (Safe) श्रेणी के विकासखंडों में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार जल संरक्षण संबंधी कार्यों का चयन एवं क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। विशेष रूप से ऐसे विकासखंडों में जल संरक्षण से संबंधित कार्यों पर निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप व्यय करते हुए प्रभावी परिणाम प्राप्त करने पर जोर दिया गया है।

उप मुख्यमंत्री ने आजीविका मिशन से संबंधित उन कार्यों को भी विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं, जो विकसित भारत–जी राम जी योजना के अंतर्गत अनुमन्य हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ–साथ आजीविका के स्थायी अवसर भी विकसित हो सकें।

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि विशेष रोजगार सप्ताह के अंतर्गत चयनित कार्यों को प्रारम्भ करने से पूर्व उनकी वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी अनिवार्य रूप से कराई जाए। कार्यस्थलों पर ड्रोन के माध्यम से भी वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी कराई जाएगी, जिससे कार्य प्रारम्भ होने से लेकर पूर्ण होने तक की स्थिति का तुलनात्मक आकलन किया जा सके तथा परिसम्पत्तियों के निर्माण एवं कार्यों के प्रभाव को प्रमाणिक रूप से प्रदर्शित किया जा सके।

श्रमिकों की मांग के अनुरूप ई–मस्टर रोल समय से जारी करने तथा अधिकतम पात्र श्रमिकों का वास्तविक नियोजन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।विशेष रोजगार सप्ताह के प्रभावी क्रियान्वयन एवं सघन अनुश्रवण के लिए मुख्य विकास अधिकारियों को जनपद स्तर पर विशेष व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत उपायुक्त

श्रम–रोजगार एवं अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के दायित्व निर्धारित किए जाएंगे। नामित अधिकारी ग्राम पंचायतों का नियमित निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र श्रमिकों को कार्यस्थलों पर नियमानुसार रोजगार उपलब्ध हो रहा है तथा सभी निर्धारित निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है।

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि विशेष रोजगार सप्ताह का आयोजन पूरी गंभीरता एवं प्रभावी कार्ययोजना के साथ किया जाए। रोजगार सृजन के निर्धारित लक्ष्यों की शत–प्रतिशत प्राप्ति, ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण, टिकाऊ परिसम्पत्तियों के निर्माण तथा आजीविका संवर्द्धन के कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए शासन के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

सम्पर्क सूत्र : बी0एल0 यादव

अवनीश श्रीवास्तव / 5:40PM

फोन नम्बर Direct : 0522 2239023 ई0पी0बी0,क्स0 : 0522 2239132 33 34 35 ,एक्सटेंशन : 223 224 225
फैक्स नं0 : 0522 2237230 0522 2239586 ई–मेल :upsoochna@gmail-com
वेबसाइट :www.information.up.gov